न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

राजस्व अपील सं. 05/2025 GCMS No. 2025/20

अपीलांट–	बनाम	उत्तरदातागण–
1.नरपतसिंह पुत्र आसकरणसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत पटवार हल्का जाजवा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।	बनाम	1.कुम्पसिंह पुत्र परबतसिंह 2.खीमसिह पुत्र परबतसिंह 3.मदनसिंह पुत्र परबतसिंह 4.रतनसिंह पुत्र परबतसिंह 5.लुणसिंह पुत्र परबतसिंह 6.चन्दरकंवर पत्नि परवतसिंह 7.मानसिंह पुत्र आसकरणसिंह जाति राजपूत निवासी राजपुरा पटवार हल्का जाजवा तहसील गिड़ा 8.बाबुकंवर पत्नि उतमसिंह जाति राजपूत निवासी लोरटी, मलवा तहसील गिड़ा 9.भीखीदेवी पत्नि जेठाराम जाति नाई निवासी राजपुरा पटवार हल्का जाजवा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा 10.टुगी पत्नि चनणाराम 11.बालीदेवी पत्नि खेताराम 12.ललित कुमार पुत्र खेताराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया बालीदेवी पत्नि खेताराम 13.शाखा प्रबन्धक द सेंन्ट्रल कॉपरेटिव बैक बाड़मेर शाखा गिड़ा 14.तहसीलदार गिड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./2022/154 दिनांक 11.02.2022 तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्टान की संयुक्त भूमि के विभाजन आदेश दिनांक 11.02.2022 को विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री धमण्डाराम सारण उपस्थित।
2. उतरदातागण संख्या 1 सें 12 की ओर से अधिवक्ता श्री वगताराम चौधरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 17.02.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/154 दिनांक 11.02.2022 को तहसीलदार गिड़ा द्वारा सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील गिड़ा के अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 12 की संयुक्त खातेदारी के खेत अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 12 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सं. 792/564 संयुक्त रकबा 70.9575 हैक्टेयर सरहद मौजा राजपुरा पटवार क्षेत्र जाजवा तहसील गिड़ा अवस्थित रही है, जो समस्त भूमियां अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी है। यह हैं कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणिया, पशुओं का बाड़ा, चारवाड़ा, आवागमन के रास्ते इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाड़ा कराने की मंशा जाहिर की, इसी दरमियान **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021** में सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा हैं, तथा मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागमन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवाड़ा किया जायेगा, इसलिए दोनों पक्षों ने सम्बन्धित पटवारी से मिल कर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आशवस्त किया गया कि, मौके पर काबिज अनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जावेगा,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। वक्त सहमति बंटवाड़ा मौके पर विपरीत स्थिति के विभाजित कर दिया, इसलिए ऐसे विभाजन प्रस्ताव, विभाजन की कार्यवाही व आदेश को यर्थार्थ स्वरूप में रखना न्याय हित में नहीं होने से निम्न आधारों पर अपीलकर्ता, मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े, पशुओं बाड़ें इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार तैयार नहीं कर मौके के विपरीत तैयार कर दिया, इस कारण सभी खातेदारों का हिस्सा राही नहीं होने से एक दुसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी, सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा उभयपक्षकारों कि बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/154 दिनांक 11.02.2022 को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं, इस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया।
2. अतः हमनें अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोड़ेट सख्या 1 सें 12 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि यह आवश्यक था, कि सह खातेदारान के मध्य जब संयुक्त भूमि का विभाजन किया जावे, तब भूमि पर काबिज पक्षकारान की रहवासीय ढाणियों, पानी के टाकों, आवागमन हेतु रखी गयी भूमि जिस जगह तरमीम की जा रही हैं, उससे किसी पक्षकारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही हो, किन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसी सम्यक तत्परता अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा नहीं बरतने से सह खातेदारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी हो रहे हैं, जिस वक्त अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 सें 12 ने विभाजन कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये तब ऐसे लट्ठा ट्रेस नक्शे में सहखातेदरान के विभाजित हिस्से में रंग भरकर अलग नहीं किया हुआ था, इस कारण ऐसे तथ्यों की जानकारी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12 को नहीं हुई, इस आधार पर उक्त आदेश निरस्त/अपास्त किये जाने योग्य हैं।
3. उक्त आदेश की पालना में पक्षकारान के खसरों का बंटवारों का विभाजन किया गया जिसमें मुख्य आपत्ति कब्जे को लेकर है, उक्त बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा किया जावें। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाती है।

अतः बाद विवेशन अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार गिड़ा आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/154 दिनांक 11.02.2022 को अपास्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार गिड़ा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति एवं मौके पर कब्जे काश्त, हिस्सा अनुसार भूमि के विभाजन का नया आदेश पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

4. निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(भुवनेश्वर सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बालोतरा